भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2336
जिसका उत्तर दिनांक 26.12.2018 को दिया जाना है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में घटित हादसे

2336. श्री विद्युत वरण महतो :
श्री सुमेधानन्द सरस्वती :
श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री रामदास सी. तडस :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों के दौरान भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में घटित सभी छोटे बड़े हादसों की परमाणु ऊर्जा संयंत्र-वार संख्या कितनी है जिनमें जान और माल की क्षति हुई है ;

(ख) क्या इन हादसों में घायल हुए लोगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) एनपीसीआईएल अथवा सरकार द्वारा संयंत्र में दोबारा काम करने में अक्षम कर्मचारियों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कोई भी नाभिकीय दुर्घटना नहीं हुई, जिसमें रेडियोसक्रियता/विकिरण निर्मुक्त हुआ हो। तथापि, पिछले तीन सालों में महाराष्ट्र में तारापुर तथा राजस्थान में रावतभाटा प्रत्येक में औद्योगिक प्रकृति की घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप दो लोगों की जानें गईं।

(ख) जी, हाँ। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया गया।

(ग) ऐसे मामलों में, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 तथा दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 जैसे सांविधिक अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

******